



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में उत्तरप्रदेश पुलिस का उपनिरीक्षक 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 25 जुलाई। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भरतपुर इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये प्रेमपाल सिंह उपनिरीक्षक पुलिस, थाना मगोर्गा, जिला मथुरा उत्तरप्रदेश को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना मगोर्गा जिला मथुरा उत्तरप्रदेश में दर्ज प्रकरण में कानूनी कार्यवाही नहीं करने एवं आरोपियों के नाम हटाने की एवज में प्रेमपाल सिंह उपनिरीक्षक पुलिस, थाना मगोर्गा, जिला मथुरा उत्तरप्रदेश द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भरतपुर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नवलकिशोर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रेमपाल सिंह पुत्र श्री श्योजीराम यादव निवासी ग्राम बहलोलपुर, पुलिस थाना सकीट, जिला एटा उ.प्र. हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थाना मगोर्गा, जिला मथुरा उत्तरप्रदेश को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि 30-30 हजार रुपये की तीन किश्तों में लिया जाना स्वीकार कर परिवादी से 10 हजार रुपये पहले ही वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।